



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 28 मई, 2025

थाना कोतवाली देहात

02 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी किये गये 47 पाईप, घटना में प्रयुक्त कैन्टर गाडी, एक कार व अवैध असलहा कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28-05-2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर 02 शातिर चोरो को नीमखेडा रोड स्थित कुल्हड फैक्ट्री के पास से चोरी किये गये पाईप व घटना में प्रयुक्त गाडी व अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- देवेन्द्र पुत्र राकेश निवासी आकलाबाद हसनपुर थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।
 - 2- मिथलेश यादव पुत्र रामबहादुर निवासी छर्पा पट्टी थाना कुसेसर जनपद दरभंगा, बिहार।
- हाल पता- मकान नं0- 411 गली नं0-02 जनता सहगल थाना मण्डोली दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 47 पाईप(चोरी किये गये)
- 2- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
- 3- 01 आयशर कैन्टर नं0- DL-1MA-1843 (घटना मे प्रयुक्त)
- 4- 01 ऐसेन्ट गाडी नं0 HR-98T-0386(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 26/27.5.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत खुर्जा रोड से एल0सी इन्फ्रा कंपनी के पाईप चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 374/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र का आपराधिक इतिहास :-

1. मुअस- 21/23 धारा 504,507 भादवि व 67 आईटी एक्ट थान टूडला जनपद फिरोजाबाद।
2. मुअसं- 576/20 धारा 279,304ए भादवि जनपद फिरोजाबाद।
3. मुअसं- 42/22 धारा 323,498ए भादवि व ¼ दहेज अधिनियम थाना मरसेना जनपद फिरोजाबाद
4. मुअसं- 374/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1- श्री नीरज मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
- 2- उ0नि0 हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 बिजेन्द्र मलिक, उ0नि0 पंकज कुमार
- 3- है0का0 विनीत राणा, का0 अश्वनी,का0 विपिन कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर